



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in,

E-mail – adm.prsu2020@gmail.com

क्रमांक /3691/ सा.प्रशा./समिति/एफ-34/2020

रायपुर, दिनांक 19/11/2020


// आदेश //

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 77-A के बिन्दु क्रमांक 15 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं हेतु सत्र 2020-21 के लिए निम्नानुसार "अनुशासन समिति" गठित की जाती है :-

- |                                   |   |                        |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| 1. कुलअनुशासक                     | - | प्रो. ए.के. श्रीवास्तव |
| 2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण        | - | डॉ. राजीव चौधरी        |
| 3. छात्रसंघ प्रभारी, अध्ययनशाला   | - | डॉ. कमलेश श्रीवास      |
| 4. संयुक्त कुलअनुशासक             | - | प्रो. बी.एस. ठाकुर     |
|                                   | - | डॉ. एल.एस. गजपाल       |
| 5. संरक्षक- पुरुष छात्रावास       | - | डॉ. बी.एल. सोनेकर      |
|                                   | - | डॉ. एम.एल. सतनामी      |
|                                   | - | डॉ. राजेन्द्र जांगडे   |
| 6. संरक्षिका- महिला छात्रावास     | - | प्रो. मीता झा          |
|                                   | - | प्रो. आरती परगनिहा     |
|                                   | - | डॉ. अमिया एक्का        |
|                                   | - | डॉ. मधुलता बारा        |
| 7. छात्रसंघ अध्यक्ष, अध्ययनशाला   | - | -                      |
| 8. कुलपति जी द्वारा नामित 2 छात्र | - | 1. -                   |
|                                   |   | 2. -                   |

उपर्युक्त समिति की बैठक आहूत करने के लिए कुलअनुशासक अधिकृत होंगे।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ. क्र./3692/ सा.प्रशा./समिति/एफ-34/2020

रायपुर, दिनांक 19/11/2020

प्रतिलिपि :-

1. उपर्युक्त माननीय समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ,
2. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला एवं समस्त विभागीय अधिकारी को सूचनार्थ,
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट में अवलोड करने हेतु अग्रेषित,
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ।

  
उप कुलसचिव(प्रशा.)

- नोवेल कोरोना वायरस(COVID-19) से बचने के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा दिये जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- नोवेल कोरोना वायरस(COVID-19) से खुद बचे तथा औरों को बचाएँ।